न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 53/2008 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2008/00081

उनवान

1. बद्रीप्रसाद पुत्र श्री मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भैंसा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।(मृतक)

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती शकुन्तला पुत्री श्री बद्रीप्रसाद धर्मपत्नी बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी अंधियारी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील संख्याः– 67/2008 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2008/00020

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भैंसा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती शकुन्तला पुत्री श्री बद्रीप्रसाद धर्मपत्नी बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी अंधियारी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. गीता पत्नी छिद्दाराम पुत्री बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी बामडा कालौनी बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।
3. बद्रीप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भैंसा तहसील रूपवास जिला भरतपुर (मृतक)

..... रेस्पोंडेंट।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर उच्चैन दिनांक 03.09.2008 उनवानी शकुन्तला बनाम बद्रीप्रसाद मु0न0 72/05, 12/08

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 29.09.2023

1. यह दोनों अपीले अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के आदेश दिनांक 03.09.2008 के विरूद्ध पेश की गई है। दोंनों अपीलो में समान पक्षकार, समान विषय वस्तु एवं समान विवादित आराजी होने के कारण एक साथ निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक–एक प्रति पृथक–पृथक अपीलो में संलग्न की जावें।

2. अपील संख्या 53/2008 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 शकुन्तला ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट बद्रीप्रसाद इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम भैंसा तहसील रूपवास में स्थित है। विवादित आराजी पैतृक आराजी होने के कारण उसमें वादी/रैस्पो0 शकुन्तला के जन्म से ही खातेदारी अधिकार हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादी/रैस्पो0 शकुन्तला व उसकी बहन गीता को प्रतिवादी/अपीलाण्ट बद्रीप्रसाद के साथ 2/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से, दौराने अन्वीक्षा दावा गीता पुत्री बद्रीप्रसाद द्वारा अपना क्लेम निरस्त कराये जाने के पश्चात, वादी/रैस्पो0 शकुन्तला को विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार मानते हुये, दावा प्रारम्भिक डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

3. अपील संख्या 67/2008 पक्षकार राजेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 के साथ यह कहते हुये प्रस्तुत की गयी है कि वादी शकुन्तला द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने पिता बद्रीप्रसाद के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी पैतृक आराजी होने के कारण उसमें वादी शकुन्तला के जन्म से ही खातेदारी अधिकार हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादी शकुन्तला व उसकी बहन गीता को उनके पिता बद्रीप्रसाद के साथ 2/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। उक्त दावे में वादी शकुन्तला द्वारा राजेन्द्र कुमार जो कि बद्रीप्रसाद का दत्तक पुत्र है को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। जबकि बद्रीप्रसाद द्वारा राजेन्द्र कुमार को दिनांक 15.05.1998 को गोद लेकर सब रजिस्ट्रार रूपवास के यहॉ तस्दीक कराया था

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

एवं राजेन्द्र कुमार तभी से बद्रीप्रसाद के साथ रहकर उनकी सेवा चाकरी कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के तहत अपील प्रस्तुत की गयी।

4. धारा 96 जा0दी0 में अपीलाण्ट राजेन्द्र कुमार का यह तर्क है कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में वह पक्षकार मुकदमा नहीं थे। ब्रदीप्रसाद द्वारा अपीलाण्ट राजेन्द्र कुमार को विधिवत गोद लिया है। अतः अपीलाधीन आदेश से उनके हित प्रभावित होते हैं। हमने गौर किया। अपीलाण्ट राजेन्द्र कुमार अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। पत्रावली पर उपलब्ध गोदनामा की प्रति से स्पष्ट है कि बद्रीप्रसाद द्वारा उन्हें गोद लिया गया है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश से उनके हित प्रभावित होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

5. अपीले प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या एक के माध्यम से रैस्पो0 को विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार अपीलाण्ट बद्रीप्रसाद के साथ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की संशोधित धारा 6 को आधार बनाकर दिया है, जो कि प्रस्तुत प्रकरण में एप्लाई नहीं करती। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार पुत्र व पुत्रियो को पिता के जीवनकाल में पिता के विरूद्ध दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। पिता की मृत्यु उपरान्त ही धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत विरासतन अधिकार पैदा होते हैं। इस कानूनी बिन्दू को समझे बिना ही रैस्पो0 शकुन्तला को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। रैस्पो0 शकुन्तला विवादित आराजी में संयुक्त रूप से काबिज नहीं है एवं ना ही उनकी कोई काश्त है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश नोन जोइन्डर ऑफ पार्टी के कारण भी निरस्तनीय है। क्योंकि रैस्पो0 शकुन्तला द्वारा अपने दत्तक भाई राजेन्द्र कुमार को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। जबकि शकुन्तला को यह ज्ञात था कि उनके पिता बद्रीप्रसाद द्वारा राजेन्द्र कुमार को विधिवत गोद लिया जाकर गोदनामा पंजीकृत कराया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाकर राजेन्द्र कुमार को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये, पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस मे तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है। जिसमें रैस्पो0 को जन्म से ही अधिकार खातेदारी हासिल हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। बद्रीप्रसाद के दत्तक पुत्र राजेन्द्र को विवादित आराजी में कोपार्सनर की हैसियत से कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

8. दौराने बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने यह स्वीकार किया कि प्रकरण में बद्रीप्रसाद की मृत्यु हो गयी है।

9. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है एवं विधि अनुसार पैतृक सम्पत्ति में पुत्रो के साथ पुत्रियों को भी जन्म से ही समान अधिकार प्राप्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय में गीता पुत्री बद्रीप्रसाद के द्वारा अपना हक त्याग करने के पश्चात् शकुन्तला को बद्रीप्रसाद के साथ विवादित आराजी में 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये, प्राथमिक डिक्री पारित की है एवं दत्तक पुत्र राजेन्द्र कुमार को विवादित आराजी में कोपार्सनर की हैसियत से कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होने के कारण कोई अनुतोष नहीं दिया गया है। दौराने बहस उभयपक्षकारान के अभिभाषक बद्रीप्रसाद की मृत्यु होना स्वीकारते हैं। अतः वर्तमान स्थिति में दत्तक पुत्र का भी विवादित आराजी में स्वत्व बनता है। उपरोक्त विवेचनानुसार बद्रीप्रसाद की मृत्यु पश्चात् दत्तक पुत्र राजेन्द्र कुमार के भी विवादित आराजी में स्वत्व पाये गये हैं एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा राजेन्द्र कुमार को बद्रीप्रसाद का दत्तक पुत्र होना मानकर विवादित आराजी बाबत् रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिये गये हैं। अतः हम पक्षकारान के मध्य स्वत्व निर्धारण हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा दोनों अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय दिनांक 03.09.2008 अपास्त किये जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में बद्रीप्रसाद के समस्त विधिक वारिसान (दत्तक पुत्र सहित) को पक्षकार मुकदमा बनाते हुये एवं उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें एवं तब तक विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने की पाबन्दी आयद की जाती है। दोनों पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर